कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा

पत्रांक....................../प०नि०, दिनांक..........................

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा ।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निविदा आमंत्रण सूचना 7 (सात) प्रतियों में एवं सी०डी० के साथ संलग्न कर वृहद प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रजी) में प्रकाशनार्थ समर्पित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना स–समय शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
कार्यपालक अभियंता,
प०नि०वि०, पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक 38 (अनु०)/प०नि०, दिनांक 12/01/2017/

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथोक्त।

कार्यपालक अभियंता
प०नि०वि०, पथ प्रमंडल, मधेपुरा

D/Rajeet Ranjan/My new work/NIT- 17.05.16

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ।
NIT. No. 04 वर्ष - *2016-17*

1.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा ।
2.	निविदा निर्गत करने की तिथि	:	12.01.2017
3.	परिमाण विपत्र की बिक्री तिथि एवं समय	:	दिनांक– 21.01.2017 से 28.01.2017 समय– 1 बजे अपराह्न तक । (अवकाश के दिनों को छोड़कर)।
4.	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– 30.01.2017 समय– 03.00 बजे अपराह्न तक ।
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– 30.01.2017 समय– 03:30 बजे अपराह्न ।
6.	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान / कार्यालय	:	(क) सहायक अभियंता, प0नि0वि0, पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा। (ख) कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमंडल, मधेपुरा। (ग) अधीक्षण अभियंता, प0नि0वि0, पथ अंचल, सहरसा।

7. कार्य का विवरण :–

	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू.में)	अग्रधन की राशि (रू.में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू.में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पथ प्रमंडल, मधेपुरा के कार्यालय भवन, चहार दिवारी एवं अन्य क्षतिग्रस्त कार्य एवं रंगाई–पुताई का आपातकालीन मरम्मति कार्य। (वित्तीय वर्ष 2016–17)	9,62,824.00	19,300.00	1,250.00	30 दिन	अनुसूचित जाति

8. निविदादाता को ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (IV) मधेपुरा जिला अन्तर्गत में निबंधन (अद्यतन नवीकृत) होना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

9. फर्म अथवा कम्पनी के मामले में निविदादाताओं को अपनी निविदा के साथ पार्टनर डीड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. निविदादाता को परिमाण विपत्र क्रय करने हेतु आवेदन–पत्र के साथ निबंधन–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा, किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक शाखा से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पदनाम से हो तथा भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, मधेपुरा में भुगतेय हो के रुप में ही स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

11. निविदादाओं को अग्रधन की राशि के रुप में (आठवाँ निर्गम राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र) एवं तीन / पाँच वर्षीय सावधिक जमा पासबुक (मधेपुरा जिला अन्तर्गत किसी भी डाकघर से निर्गत हो) जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी।

12. निविदादाता को परिमाण विपत्र क्रय करने से पूर्व अद्योहस्ताक्षरी से अग्रधन की राशि को प्रतिज्ञिप्त करने हेतु आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. अग्रधन की राशि को कार्यपालक अभियंता, प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पक्ष में प्रतिज्ञिप्ति माह, जनवरी, 2017 का होना चाहिए, क्योंकि आये दिन जाली प्रतिज्ञिप्ति एवं ***TD/NSC/KVP*** निविदादाताओं के द्वारा निविदा प्राप्त करने के क्रम में जमा करा दिया जाता है, जिसके कारण पदाधिकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

14. निविदादाता को अपनी निविदा में दर प्रतिशत अधिक / कम परिमाण विपत्र में अंकित दरों पर अंकित करना होगा।

15. निविदा समर्पित करने से पूर्व सभी निविदादाता संबंधित कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। बाद में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, एवं सशर्त्त निविदा अमान्य होगी।

16. कार्यों के प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य में परिवर्त्तन हो सकता है। निर्गत किया जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित विपत्र की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य ही अंतिम तौर पर मान्य होगा।

17. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का कोई सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

18. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ आयकर, पेन कार्ड, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, वेट प्रमाण–पत्र, श्रम लाईसंस अद्यतन तथा नवीकृत निबंधन–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. बिना कारण बताए निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरित को सुरक्षित है।

20. अन्य कोई भी सूचना अथवा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में आवेदन देकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

21. परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है, तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

22 यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

23. इस कार्य की निविदा वृहद प्रचार–प्रसार के माध्यम से आमंत्रित कर कार्य कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा के पत्रांक– 1166 (अनु0), दिनांक– 17.12.2016 के द्वारा आदेश प्राप्त है।

24. अग्रधन की राशि दो प्रतिशत ***3 Years TD/NSC/KVP*** इत्यादि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त कर निविदा कागजात के साथ जमा करना होगा।

25. निविदा कागजात के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि संवेदक को किसी भी निविदा में भाग लेने से डिवार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा